न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 238/2023

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थी**

1. ओमपुरी पुत्र मोहनपुरी उम्र 38 वर्ष
2. खेतपुरी पुत्र मोहनपुरी उम्र 60 वर्ष
3. पुरखपुरी पुत्र चौनपुरी उम्र 65 वर्ष
4. कालूपुरी पुत्र खेराजपूरी उम्र 60 वर्ष
5. गौकलपुरी पुत्र खेराजपुरी उम्र 52 वर्ष
6. लालपूरी पुत्र खेराजपूरी उम्र 62 वर्ष
7. पूनमपुरी पुत्र खेराजपूरी उम्र 58 वर्ष
8. बाबूपुरी पुत्र मोहनपुरी उम्र 40 वर्ष
9. चुनी पत्नि मोहनपुरी उम्र 65 वर्ष
10. खैमपुरी पुत्र सोनपुरी उम्र 55 वर्ष
11. टीकमपुरी पुत्र सोनपुरी उम्र 65 वर्ष
12. भूरपुरी पुत्र सोनपुरी उम्र 67 वर्ष
13. बादली पत्नि सोनपुरी (फौत के कायम मुकाम वादी संख्या 9 से 11)

जातियान स्वामी निवासी चिपड़ी नाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा

14. कंवराराम पुत्र दूदाराम उम्र 30 वर्ष
15. भेराराम पुत्र दूदाराम उम्र 42 वर्ष

जातियान जाट निवासी चिपड़ी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा

तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान [illegible]जस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:18 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूराम बेनीवाल प्रार्थीगण उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 17.01.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण सं. 1 से 13 के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 372 रकबा 8.777 हैक्टेयर, व प्रार्थी सं. 14 व 15 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 372/1 रकबा 3.8428 हैक्टयर ग्राम चिपड़ी नाडी पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जो मूल खसरा 372 से विभाजन से नवसृजित खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का अपना–अपना कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिल्कुल विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों में कथन किया कि प्रार्थीगण सं. 1 से 13 के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 372 रकबा 8.777 हैक्टेयर, व प्रार्थी सं. 14 व 15 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 372/1 रकबा 3.8428 हैक्टयर ग्राम चिपड़ी नाडी पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जिसमें मूल खसरा 372 से विभाजन से नवसृजित खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 2975 दिनांक 12.11.2024 में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट ... पर विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:18 IST
Reason: SelfAttested

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में ... किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जा...

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थीगण सं. 1 से 13 के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 372 रकबा 8.777 हैक्टेयर, व प्रार्थी सं. 14 व 15 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 372/1 रकबा 3.8428 हैक्टयर ग्राम चिपड़ी नाडी पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 372 से विभक्त होकर नवसृजित खसरान की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरित लट्ठा ट्रेस मे कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.11.2024 से होता है,इस प्रकार प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति भी हो रही है,जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है, जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण सं. 1 से 13 के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 372 रकबा 8.777 हैक्टेयर, व प्रार्थी सं. 14 व 15 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 372/1 रकबा 3.8428 हैक्टयर ग्राम चिपड़ी नाडी पटवार मण्डल नेहरों की ढाणी तहसील सिणधरी की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट कमांक 2975 दिनांक 12.11.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner